संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक3/डी.डी.3/पी.एन.डी.टी./2018/72 **भोपाल,दिनांक 7/4/2018**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय–बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, तो उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना (मुख्य मंत्रजी की घोषणा क्रमांक बी–0792)।

संदर्भ–पंचायत राज संचालनालय म.प्र. के पत्र क्रमांक पंचा/एफ–1/1469/2018/108, दिनांक 27.03.2018।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय् मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी–0792 प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायत जहां पंचायत की भूमिका सक्रिय हो तथा 0 से 5 वर्ष की आयु में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत/सम्मानित करने हेतु योजना बनाकर परिपत्र जारी किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त योजनान्तर्गत पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की जानकारी आज ही संचालनालय के ई–मेल dhspcpndt@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पंचायत राज संचालनालय द्वारा चाही गई जानकारी भेजी जा सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

16/4

संयुक्त संचालक,
एन.एच.एम.
पी.सी.एण्ड़ पी.एन.डी.टी.
मध्य प्रदेश

क्रमांक3/डी.डी.3/पी.एन.डी.टी./2018/ **भोपाल,दिनांक / /2018**

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.म.प्र.।
3. पंचायत राज संचालनालय अरेरा हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश।
4. समस्त जिला कलेक्टर, एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी. म.प्र.।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी,पी.सी.पी.एन.डी.टी. म.प्र.।

संयुक्त संचालक,
एन.एच.एम.
पी.सी.एण्ड़ पी.एन.डी.टी.
मध्य प्रदेश

अति–आवश्यक

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephon No.0755-2557727,Fax No.0755-2552899, E-mail adress: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पंचा./एफ–1– /1469/2018/108 भोपाल, दिनांक 27 03.2018

प्रति,

1. आयुक्त,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल।

2. आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश भोपाल।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
02 APR 2018
53

विषय— बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, तो उन ग्राम पचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना (मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी–0792) के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी–0792 "प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायत जहां पंचायत की भूमिका सक्रिय हो तथा 0 से 5 वर्ष की आयु में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत/सम्मानित करने की योजना बनायी जावेगी।" के तारतम्य में योजना बनाकर मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–2–1/2015/22/पं.–1 दिनांक 14.07.2015 जारी किया गया है। परिपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया उक्त योजनान्तर्गत पुरुस्कृत ग्राम पंचायतों की जानकारी आज ही संचालनालय के ई–मेल mpprd.panch@mp.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

Director on Tour/Leave

NHM

DD (PNDT)

(शमीम उद्दीन)
संचालक,
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ 2—1 / 2015 / 22 / पं.—1

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला / जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय :— बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, तो उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना।

—00—

दिनांक 19.05.2015 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महिला पंचायत के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा में आंशिक संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

"प्रदेश के ऐसी ग्राम पंचायत जहां पंचायतों की भूमिका सक्रिय हो तथा 0 से 5 वर्ष में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक होगी, उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना बनाई जावेगी"

उक्त घोषणा के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने के संबंध में निम्नानुसार योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में बेटो के समान बेटियों को समान दर्जा देने तथा लगातार हो रहे लिंगानुपात को समान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है तथा इस योजना का क्षेत्र ग्राम पंचायत तक रहेगा। परंतु इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा, जिसकी पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है :—

1. पात्रता की शर्ते—

(क) ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को 0 से 5 वर्ष आयु की बेटियों की संख्या बेटो से अधिक होना चाहिए।

(ख) बेटियों तथा बेटों का आंकलन प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि का किया जावेगा।

(ग) ग्राम पंचायत क्षेत्रों के समस्त ग्रामों में बेटियों तथा बेटों की तुलनात्मक ~~सूची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तथा आशा कार्यकर्ता द्वारा तैयार की~~ जावेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सूची तैयार कर बी.एम.ओ. को प्रस्तुत की जावेगी।

(घ) तुलनात्मक सूची बी.एम.ओ. के माध्यम से सी.एम.एच.ओ. को प्रेषित की जावेगी। सी.एम.एच.ओ. ब्लाक वार ग्राम पंचायत की सूची जिला स्तरीय बैठक में चयन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

2. चयन समिति– चयन समिति में 04 सदस्य होंगे–

(1) कलेक्टर – अध्यक्ष

(2) सी.एम.एच.ओ. – सचिव

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य

(4) जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी

समिति की बैठक सचिव द्वारा आहूत की जावेगी। समिति समस्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर अंतिम रूप से ग्राम पंचायतों का चयन करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस पर जिले में गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुरस्कार का वितरण किया जावेगा।

3. राशि का आवंटन–

राशि का आवंटन पंचायत राज संचालनालय से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को किया जावेगा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से ग्राम पंचायत को राशि जारी की जावेगी।

4. पुरस्कार राशि–

ऐसी ग्राम पंचायते जहां वर्ष में 0 से 5 वर्ष तक के बेटियों की संख्या बेटो से अधिक होगी, उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) प्रदान किया जावेगा।

5. राशि का उपयोग–

पुरस्कार राशि के उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा बेटियों के विकास पर व्यय की जावेगी।

6. अभिलेख–

यह राशि संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा की जावेगी एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं ठहराव अनुसार व्यय किया जावेगा।

7. राशि का अंकेक्षण–

पुरस्कार राशि से किये गये कार्यो एवं व्यय राशि का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र–

राशि का उपयोग किये जाने के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद/जिला पंचायत संकलित कर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय को वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत तत्काल प्रेषित करेगी।

कृपया योजनानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव
म.प्र.शासन,

भोपाल, दिनांक 14/04/2015.

पृष्ठांकमांक एफ 2–1/2015/22/पं.–1

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. निज सचिव, सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचतायत मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर सचिव
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग